



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी

भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाईट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 3072/SEIAA/2022

Date: 11/2/22

प्रति,


श्री नरेन्द्र कुमार रजक
आत्मज श्री बलदेव प्रसाद रजक,
निवासी 578 नया 864, पुरानी मछरहाई,
जिला जबलपुर (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्र. 6136/2019: परियोजना प्रस्तावक श्री राजा मोर आत्मज श्री विष्णु प्रसाद मोर, निवासी बस स्टेण्ड, सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), एरिया 3.450 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 45203 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 198 ग्राम मिढ़ासन, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण श्री नरेन्द्र कुमार रजक आत्मज श्री बलदेव प्रसाद रजक, निवासी 578 नया 864, पुरानी मछरहाई, जिला जबलपुर (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 703 वी बैठक दिनांक 30.1.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया

".....राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज हस्तांतरण दिनांक 12.12.2019 के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण हेतु आवेदन 02 वर्ष के बाद विलम्ब से क्यों किया गया का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें एवं इस दौरान उक्त खनिज पट्टे में कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है का सत्यापन जिला खनिज अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित करें।"

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में सूचित किया जाता है कि लीज हस्तांतरण दिनांक 12.12.2019 के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण हेतु आवेदन 02 वर्ष के बाद विलम्ब से क्यों किया गया का स्पष्टीकरण तथा इस दौरान उक्त खनिज पट्टे में कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है का सत्यापन जिला खनिज अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर यथाशीघ्र प्रस्तुत करें, जिससे कि प्रकरण की वस्तुस्थिति SEIAA समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा सके।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

पृ.क्र. 3073 /SEIAA/2022

दिनांक - 11/2/22

प्रतिलिपि:-

1. जिला खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला - जबलपुर (म.प्र.)


प्रभारी अधिकारी